संख्या– 1499 / XXVIII(1)-2007-76/2006

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक, 9 नवम्बर, 2007

विषयः– राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जसपुर, ऊधमसिंहनगर में अनावासीय भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7131–72/लेखा–126/2007–08, दिनांक 11.09.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुवां एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय **जसपुर, ऊधमसिंहनगर** के अनावासीय भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतुरू0 36.33 **लाख** के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि **रू0 32.68 लाख (रू0 बत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **रू0 7.00 लाख(रू0 सात लाख मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं स्वीकृत नार्म्स से अधिक किसी भी दशा में न होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य स्थल का मृदा परीक्षण अवश्य कराया जायेगा तथा मृदा परीक्षण आख्या में दिये गये सुझावों के अनुसार भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा।
3. उक्त धनराशि आहरित कर निर्माण इकाई, परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, यूनिट–10, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष 2007–08 के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण इकाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत नार्म्स है, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों एवं विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैन्युवल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

11. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

12. स्वीकृति धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13. निर्माण के समय किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है, तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

14. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

15. आगणन में भवन निर्माण की दरों में जिन–जिन मदों का प्राविधान किया गया है,उन सभी मदों का कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

16 निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

17. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006, द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

18. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–800–अन्य व्यय–91–जिला योजना–9101– राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना) के मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

19. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –487(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग –3 /2007 दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निग, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, यूनिट–10, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर ।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशोधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

2

05/107006.802